

# कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

## नई दिल्ली-110002

### बिल अनुभाग

सं. बिल/आयकर/2018-19/10

दिनांक- 24-07-2018

विषय:- अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा उनके आयकर स्वतः निर्धारण फॉर्म 12-BB प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।


कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (के.व्यय) नई दिल्ली के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष 2018-19 के आयकर स्वतः निर्धारण फॉर्म 12-BB भरकर बिल अनुभाग में दिनांक 14-08-2018 तक सभी आवश्यक दस्तावेज/ फोटोप्रति के साथ प्रस्तुत करें।

यह फॉर्म कार्यालय की वेबसाइट <http://dgace.cag.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को 15-08-2018 से 31-03-2019 तक प्रीमियम भुगतान/ निवेश आदि करने हैं, वे बिल अनुभाग को लिखित में अनुमानित राशि अवश्य सूचित करें।

फॉर्म 12-BB दिनांक 14-08-2018 तक प्राप्त न होने पर बिल अनुभाग द्वारा उपलब्ध विवरण के आधार पर नियमानुसार आयकर की गणना करके वेतन से कटौती कर ली जाएगी। आयकर फॉर्म 12-BB समय से न देने की स्थिति में यदि आयकर अधिक कट जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी की ही होगी।

लेखा परीक्षा समूहों के मुख्यालय अनुभागों से निवेदन है कि यह सूचना सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों तक पहुंचना सुनिश्चित करें।

  
लेखा परीक्षा अधिकारी (बिल)